"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 91] रायपुर, सोमवार, दिनांक 12 मार्च 2018 — फाल्गुन 21, शक 1939

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 12 मार्च 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-2/2018/एक (1). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ शासन कार्य नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों तथा उनके अनुदेशों में, -

1. भाग एक-छत्तीसगढ़ कार्यपालक शासन के कार्य नियम में, नियम 3 में, खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

   "(घ) विभाग के "सचिव" से अभिप्रेत है, किसी विभाग में पदस्थ अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव या विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार) में से वरिष्ठतम पद पर पदस्थ अधिकारी."

2. भाग पांच-कार्य नियम के नियम 13 के अधीन अनुपूरक अनुदेश में, शीर्षक क-सचिवों के लिए प्रक्रिया के अंतर्गत, अनुदेश 2 में, स्पष्टीकरण के खण्ड (एक) में, शब्द "सचिव या अतिरिक्त सचिव" के स्थान पर, शब्द "सचिव, विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार), विशेष सचिव या अतिरिक्त सचिव" प्रतिस्थापित किया जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शांडिल्य, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 12 मार्च 2018

क्रमांक एफ 1-2/2018/एक (1).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-2/2018/एक (1), दिनांक 12 मार्च 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शांडिल्य, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 12th March 2018

NOTIFICATION

No. F 1-2/2018/1/One (1). — In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendments in the Chhattisgarh Government Rules of Business, namely :-

AMENDMENT

In the said rules and instructions therein,-

1. In Part 1-Rules of Business of the Executive Government of Chhattisgarh, in rule 3, after clause (c), the following shall be added, namely :-

   "(d) "Secretary" of the department means the Officer posted on Senior most post among the Additional Chief Secretary, Principal Secretary, Secretary or Special Secretary (Independent Charge) posted in that department."

2. In Part V- Supplementary Instructions under Rule 13 of the Business Rules, under heading A-Procedure of Secretaries, in Instruction 2, in clause (i) of the Explanation, for the words " a Secretary or an Additional Secretary", the words "a Secretary, Special Secretary (Independent Charge), Special Secretary or an Additional Secretary" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REETA SHANDILYA, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.